न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण क्रम–2, कोटपूतली, जिला,जयपुर

पीठासीन अधिकारी :: श्री राजेश कुमार, आर॰जे॰एस॰
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मो॰दु॰वाद संख्या :: **278 / 2024**

सीआईएस नंबर :: **278 / 2024**

01. श्रीमति ममता देवी पत्नी स्व. सुरेश सैनी, उम्र 35 वर्ष,
02. प्रिती पुत्री स्व. सुरेश सैनी, उम्र 11 वर्ष,
03. चेतन प्रकाश पुत्र स्व. सुरेश सैनी, उम्र 10 वर्ष,
    प्रार्थीगण 2 व 3 नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमति ममता देवी।
04. मिनाक्षी पुत्री स्व. सुरेश सैनी, उम्र 19 वर्ष,
05. मोठूराम सैनी पुत्र मनोहरलाल, उम्र 59 वर्ष
06. श्रीमति शारदा देवी पत्नी मोठूराम, उम्र 58 वर्ष,
    समस्त निवासियान बर्डोद, तहसील बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

——प्रार्थीगण

ब ना म्

01. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रिजनल ऑफिस – एन.बी.सी.सी. सेन्टर, प्लॉट नंबर 132–135, तृतीय मंजिल, लाल कोठी स्कीम, सहकार मार्ग, जयपुर पिन 302015, बीमा कंपनी वाहन कार नंबर– एच.आर. 72–बी–8354, वैध तिथि 30.03.2024 से 29.03.2025 तक।
02. रामनिवास गुर्जर पुत्र श्री भूराराम गुर्जर, निवासी भोडसी, तहसील सोना, जिला गुरूग्राम, हरियाणा।
    मालिक वाहन कार नम्बर एच.आर. 72–बी–8354
03. संजय कुमार मेघवाल पुत्र श्री सुरेश कुमार मेघवाल, निवासी सुन्दरपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।
    चालक वाहन कार नम्बर एच.आर. 72–बी–8354

——अप्रार्थीगण

क्लेम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 140 / 166 एम.वी.एक्ट 1988

उपस्थित :–

1. श्री राधेश्याम गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री विमल गोयल, विद्वान अधिवक्ता – अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से।
3. श्री दिनेश गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.06.2026

01. प्रकरण की दुर्घटना के संबंध में हस्तगत क्लेम याचिका संख्या 278/2024 प्रार्थीगण श्रीमति ममता देवी वगैरह द्वारा मोटर दुर्घटना में आई चोटों के कारण सुरेश सैनी की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. वगै. के खिलाफ धारा 140/166 एम.वी.एक्ट के तहत प्रतिकर के लिये पेश की गई हैं। उक्त याचिका का निस्तारण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

02. प्रार्थीगण का अभिकथन है कि दिनांक 25.04.2024 को समय करीब रात्रि 08:30 बजे सुरेश सैनी राधा कृष्ण मदिर के सामने साईड में कच्चे में खड़ा होकर घर जाने के लिये वाहन का इन्तजार कर रहा था कि उसी समय बहरोड़ की तरफ से एक कार नंबर एच.आर. 72 बी 8354 को उसका चालक तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये लाया और साईड में कच्चे में खड़े सुरेश सैनी के टक्कर मार दी जिससे सुरेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेश सैनी को पार्क अस्पताल बहरोड़ लेकर गये जहां गंभीर हालत होने के कारण रैफर करने पर एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया, जहां दौराने ईलाज दिनांक 26.04.2024 को सुरेश सैनी की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। यह दुर्घटना वाहन कार नंबर एच.आर. 72 बी 8354 के चालक द्वार वाहन को तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण घटित हुई थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बहरोड में एफ.आई.आर. नं. 193/2024 अंर्तगत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में दर्ज की गई।

03. प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मृतक सुरेश सैनी बरवक्त दुर्घटना 42 साल का हष्ट–पुष्ट एवं स्वस्थ व्यक्ति था। मृतक सुरेश सैनी सैटरिंग ठेकेदारी का कार्य करता था जिससे वह प्रतिमाह 25,000/–रूपये कमा लेता था तथा साथ में कृषि कार्य करके प्रतिमाह 15,000/–रूपये कमा लेता था। इस प्रकार सुरेश सैनी प्रतिमाह 40,000/–रूपये लेता था तथा अपना व अपने परिवार का गुजारा करता था। सुरेश सैनी की आय से ही उसके परिवार का गुजर–बसर होता था। सुरेश सैनी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। प्रार्थीगण के पास आय का कोई जरिया नहीं है। प्रार्थीया संख्या 1 मृतक की पत्नि है जो अपने पति मिलने वाले प्यार, सहारे, जीवनयापन सुख से वंचित हो गई है, अब उसे शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। प्रार्थी संख्या 2 व 4 मृतक के बच्चें हैं जो अपने पिता से मिलने वाले प्यार, सहारे, संरक्षण से वंचित हो गये है। प्रार्थीगण संख्या 5 व 6 मृतक के पिता व माता है जो बुढ़ापे में अपने पुत्र से

मिलने वाले प्यार, सेवा–टहल से वंचित हो गये है। यदि उक्त दुर्घटना में सुरेश सैनी की मृत्यु नहीं होती तो वह भविष्य में अपनी आय में 4 गुना तक वृद्धि करता जो अब संभव नहीं है। उक्त दुर्घटना में सुरेश सैनी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण को भारी मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचा है। प्रार्थीगण इन सब की पूर्ति द्रव्य में नहीं कर सकते है किन्तु फिर भी प्रार्थीगण मद संख्या 24 में वर्णित राशि व मद संख्या 25 में विभिन्न प्रकार से वर्णित राशि विपक्षीगण से संयुक्त तथा पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है। अंत में सुरेश सैनी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण को भारी मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध 3,11,30,000/– रूपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

04. अप्रार्थी संख्या 01 बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर अभिकथित किया है कि दुर्घटना दिनांक 25.04.2024 को हुई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.05.2024 को दर्ज कराई गयी। इस प्रकार 6 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। मात्र क्लेमेन्टस द्वारा क्लेम राशि उपरोक्त वाहन की बीमा कंपनी अप्रार्थी से प्राप्त करने के लिये उपरोक्त वाहन संख्या एचआर 72 बी 8354 को लिप्त दिखाया है। वाहन संख्या एचआर 72 बी 8354 ने दिनांक 25.04.2024 को घटित हुई दुर्घटना के संबंध में अप्रार्थी बीमा कंपनी को कोई जानकारी नहीं दी है। मृतक आने–जाने वाले वाहनों की अनदेखी कर एवं यातायात निमयों का उल्लंघन कर रोड़ पर खड़ा था जिस कारण किसी भी वाहन से दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेवार अप्रार्थी बीमा कंपनी की नहीं होती उक्त दुर्घटना मृतक के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम है। अप्रार्थी बीमा कंपनी को उत्तर देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और किसी भी दायित्व को स्वीकार बिना यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीमाकृत वाहन चालक अपने वाहन को सभी सावधानियां और देखभाल के साथ चला रहा था और कानून द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं विनियमों का पालन कर रहा था। बीमाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि तृतीय पक्ष चालक स्वयं एक अपकृत्यकर्ता होने के नाते इस मामले में मुआवजा का दावा करने का अधिकार नहीं है। दुर्घटना के समय बीमित वहन को वैध एवं प्रभावी लाईसेंसधारी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। इस संबंध में कोई सूचना बीमित/वाहन स्वामी ने उत्तरदाता को नहीं दी है इससे यह एडवर्स इम्फरेन्स लिया जाना आवश्यक है तथा कथित दुर्घटना के समय वाहन को वैध एवं प्रभावी लाईसेंसधारी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। इसकी जानकारी बीमित वाहन स्वामी को थी। इस प्रकार वाहन स्वामी ने जानबूझकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। वरवक्त दुर्घटना वाहन संख्या एचआर 72 बी 8354

का परमिट व फिटनेश वाहन स्वामी के पास नहीं था जो बीमा पॉलिसी की शर्तो की अवहेलना है। इस प्रकार बीमा कम्पनी ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

05. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर अभिकथित किया है कि उक्त दुर्घटना में वाहन कार नंबर एचआर 72 बी 8354 के चालक की कोई गलती व लापरवाही नहीं थी। उक्त दुर्घटना में वाहन कार नंबर एचआर 72 बी 8354 के चालक अप्रार्थी संख्या 3 की कोई सूक्ष्म गलती भी होना माने तो अप्रार्थी संख्या 2 उक्त वाहन को अप्रार्थी संख्या 2 के नियोजन में चला रहा था तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने उक्त वाहन को अप्रार्थी संख्या 1 वाहन की बीमा कंपनी के यहां बीमित करवा रखा था। इस प्रकार क्षतिपूर्ति राशि करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या 1 वाहन की बीमा कंपनी का बनता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की क्लेम याचिका मय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

06. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः—

1. आया अप्रार्थी संख्या 03 वाहन चालक ने दिनांक 25.04.2024 को समय करीब 08:30 पीएम बजे वाकै राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाहन कार नंबर एच.आर. 72 बी 8354 को उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर सुरेश सैनी के टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?

———प्रार्थीगण

2. आया वाहन चालक 3 वाहन स्वामी 2 के नियोजन में था और उसके लाभार्थ एवं हितार्थ वाहन को चला रहा था एवं उसी हाल में यह दुर्घटना कारित हुई है ?

———प्रार्थीगण

3. आया विपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी अपने जबाव दावा की प्रारंभिक आपत्तियां उठायी हैं ? वह प्रभावकारी हैं ? यदि हां तो क्या बीमा कम्पनी अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकती हैं ?

———अप्रार्थी

4. आया प्रार्थी सुरेश सैनी बतौर प्रतिकर राशि कुल 3,11,30,000/—रूपए विपक्षीगण से बतौर दावा प्राप्त करने की अधिकारी हैं ? यदि हां तो विपक्षीगण से कितनी राशि किस प्रकार देय होगी?

———प्रार्थी

5. अनुतोष ?

07. प्रार्थी की ओर से ए॰डब्ल्यू॰–1 ममता, ए॰डब्ल्यू॰–2 रोहिताश के कथन लेखबद्ध कराए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चाक् एफआईआर प्रदर्श 1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 2, चार्जशीट प्रदर्श 3, नक्शा मौका प्रदर्श 4, धारा 174 दं.प्र.सं. की कार्यवाही प्रदर्श 5, पंचायतनामा प्रदर्श 06, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 07, पोस्टमार्टम तहरीर प्रदर्श 08, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 09, फर्द जब्ती कार प्रदर्श 10, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श 11, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श 12, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श 13, मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श 14, आरसी की फोटाप्रति प्रदर्श 15, इंश्योरेंस की फोटोप्रति प्रदर्श 16, डीएल की फोटोप्रति प्रदर्श 17, आधार कार्ड प्रदर्श 18 लगायत 24, असल आधार कार्ड जिनकी फोटोप्रति प्रदर्श 18ए लगायत 24ए, कृषि भूमि जमाबंदी प्रदर्श 25 लगायत 26 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये हैं।

08. अप्रार्थी पक्ष की ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर अप्रार्थी साक्ष्य बंद की गई।

09. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 03 वाहन चालक ने दिनांक 25.04.2024 को सुरेश सैनी को राधा कृष्ण मंदिर के सामने साईड में कच्चे में खड़ा होकर घर जाने के दौरान कार नंबर एच.आर. 72 बी 8354 को उसका चालक तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये लाया और साईड में कच्चे में खड़े सुरेश सैनी के टक्कर मार दी जिससे सुरेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेश सैनी को पार्क अस्पताल बहरोड़ लेकर गये जहां गंभीर हालत होने के कारण रैफर करने पर एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया जहां दौराने ईलाज दिनांक 26.04.2024 को सुरेश सैनी की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। वक्त दुर्घटना मृतक की उम्र 42 साल होना व ह्ष्ट–पुष्ट स्वस्थ व्यक्ति था, जो सैटरिंग ठेकेदारी व कृषि का काम कर प्रतिमाह 40,000/– रूपये कमाता था। वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 मृतक पर आश्रित हैं जो उससे मिलने वाले प्यार, स्नेह, सहारा आदि से वंचित हो गये हैं। उसकी मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण को भारी मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचना बताते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध 3,11,30,000/– रूपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में दोहराते हुए कथन किया कि तथाकति दुर्घटना दि. 25.04.2024 को घटित होना बताया है लेकिन घटना की रिपोर्ट थाने में 01.05.2024

को छः दिन की देरी से दर्ज करवाई जो वाहन के मालिक, चालक व पुलिस अनुसंधान अधिकारी से साज करके मात्र क्लेम लेने के लिये दर्ज करवाई है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ए.डब्ल्यू 1 ममता देवी जो मृतक की पत्नी है को पेश किया गया है। वह अपनी जिरह में स्वीकार करती है कि दुर्घटना कैसे हुई उसको पता नहीं है। उसने उसके पति की आय, पढ़ाई–लिखाई के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये तथा मृतक के पास आय का कोई साधन नहीं था। वे सरकार द्वारा मुफ्त योजना गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोगों को मिलने वाला राशन लेते हैं। जिससे मृतक की कोई आय होना दर्शित नहीं होने से मात्र क्लेम लेने के लिए बढ़ा–चढ़ाकर क्लेम याचिका पेश की है। गवाह ए.डब्ल्यू. 2 रोहिताश इन्टरेस्ट विटनेश होने के कारण गवाह पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उसने कोई दुर्घटना कारित होते हुये नहीं देखी है। उक्त प्रकरण में ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है कि उक्त दुर्घटना वाहन नंबर एचआर 72 बी 8354 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुई हो। क्लेम याचिका साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाह को पेश किया जाना आवश्यक है। वाहन स्वामी व चालक द्वारा 133 व 134 एमवी एक्ट के नोटिस में दुर्घटना स्वीकार करने मात्र से ही क्लेम साबित नहीं होता है। उक्त प्रकरण में क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई भी चक्षु साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। क्लेम को साबित करने का भार क्लेमेन्ट पर होता है। मात्र क्लेम पेश कर देने व फौजदारी दस्तावेजों के आधार पर साबित नहीं माना जाता। अंत में बीमा कम्पनी ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवाद्यकानुसार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या – 01 एवं 02

12. उक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विवाद्यकों को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थी पक्ष की ओर से ए॰डब्ल्यू॰–1 के क्रम पर ममता, ए॰डब्ल्यू॰–2 के क्रम पर रोहिताश परीक्षित हुए हैं। ए॰डब्ल्यू॰–1 ममता ने न्यायाधिकरण के समक्ष बयानों में कथन किया है कि दिनांक 25.04.2024 को उसके पति सुरेश राधा–कृष्ण मंदिर के सामने साईड में कच्चे में खड़े होकर घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे तभी बहरोड़ की तरफ से एक कार नंबर एचआर 72 बी 8354 के ड्राईवर ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पति के टक्कर मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल

हो गये। घायल को बहरोड़ पार्क अस्पताल ले गए जहां से रैफर करने पर जयपुर एसएमएस में उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पति सुरेश सैटरिंग ठेकेदारी व कृषि का कार्य करते थे। जिससे प्रतिमाह 40,000/– रू. कमा लेते थे। उसने अपने क्लेम के समर्थन मे ं चाक् एफआईआर प्रदर्श 1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 2, चार्जशीट प्रदर्श 3, नक्शा मौका प्रदर्श 4, धारा 174 दं.प्र.सं. की कार्यवाही प्रदर्श 5, पंचायतनामा प्रदर्श 06, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श 07, पोस्टमार्टम तहरीर प्रदर्श 08, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 09, फर्द जब्ती कार प्रदर्श 10, फर्द जब्ती कागजात प्रदर्श 11, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श 12, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट प्रदर्श 13, मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श 14, आरसी की फोटाप्रति प्रदर्श 15, इंश्योरेंस की फोटोप्रति प्रदर्श 16, डीएल की फोटोप्रति प्रदर्श 17, आधार कार्ड प्रदर्श 18 लगायत 24, असल आधार कार्ड जिनकी फोटोप्रति प्रदर्श 18ए लगायत 24ए, कृषि भूमि जमाबंदी प्रदर्श 25 लगायत 26 को पेश कर प्रदर्शित करवाये। **प्रतिपरीक्षण** में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के वक्त वह मौके पर माजूद नहीं थी। दुर्घटना की सूचना उसे सुबह मिली। घटना की रिपोर्ट उसके देवर सुभाष ने दर्ज कराई थी। उसके पति कितने पढ़े–लिखे थे उसे जानकारी नहीं है। उसने अपने पति की सैटरिंग की आय बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। उसके नाम से कृषि भूमि नहीं है। सास–ससुर के नाम से दो बीघा जमीन है। उसे राशन के गेहूं मिलते हैं। उसकी बच्चियों की अभी उसने शादी नहीं की। इस तथ्य गलत होना बताया है कि यह दुर्घटना अज्ञात वाहन से हुई हो अैर उन्होंने वाहन नं. एच.आर.72 बी 8354 को लिप्त किया हो।

13. गवाह ए॰डब्ल्यू॰–2 रोहिताश न्यायाधिकरण के समक्ष बयानों में कथन करता है कि दि. 25.04.2024 को वह स्वयं की मोटरसाइकिल से बहरोड़ दुकान से अपने घर बर्डोद जा रहा था उसी समय करीब 08:30 पीएम शाम को लगभग वह बहरोड़ अलवर रोड़ पर राधाकृष्ण मंदिर के पास पहुंचा तभी बहरोड़ की तरफ से एक कार स्वीफ्ट डिजायर नं. एचआर 72 बी 8354 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए साईड में कच्चे में खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति सुरेश चंद था। उसने उक्त लोगों की सहायता से घायल व्यक्ति को पार्क अस्पताल पहुंचाया। घायल व्यक्ति की गंभीर हालत होने से उसे जयपुर रैफर कर दिया जहां दिनांक 26.04.2024 को उसकी मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाली गाड़ी सफेद रंग की थी। **प्रतिपरीक्षण** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि दुर्घटना स्थल पर मंदिर होने के कारण वहां पर उजाला था। वह दुर्घटना स्थल पर 100 मीटर दूर पर था। जब वह स्वयं की मोटरसाइकिल रोककर

टक्कर मारने वाली गाड़ी की तरफ लपका तो गाड़ी वाला जो टक्कर के बाद में थोड़ा रूका उसके बाद वहां से भाग गया। मृतक सुरेश राधा–कृष्ण मंदिर के पास साधन के इंतजार में खड़ा था।

14. इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की ओर से ए॰डब्ल्यू॰–1 के क्रम पर ममता व , ए॰डब्ल्यू॰–2 के क्रम पर रोहिताश परीक्षित हुए हैं, उक्त दोनों गवाहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्वीफ्ट डिजायर नं. एच.आर. 72 बी 8354 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाने के परिणामस्वरूप घटना घटित होने के कथन किये हैं एवं दुर्घटना में सुरेश कुमार के चोटें आने से दौराने ईलाज मृत्यु होना बताया है। गवाह ए॰डब्ल्यू॰–2 रोहिताश घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। इसलिए इस गवाह की साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण हो जाती है। इस गवाह ने अधिकरण के समक्ष बतौर चश्मदीद साक्षी घटना से संबंधित समस्त तथ्यों की ताईद करते हुए कार स्वीफ्ट डिजायर नं. एचआर 72 बी 8354 के चालक चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए साईड में कच्चे में खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मार देने, जिससे उसके गंभीर रूप से घायल हो जाने एवं घायल व्यक्ति सुरेश चंद होने का कथन किया है तथा स्वयं द्वारा अन्य लोगों की सहायता से घायल व्यक्ति को पार्क अस्पताल पहुंचाने तथा घायल व्यक्ति की गंभीर हालत होने से उसे जयपुर रैफर कर दिये जाने, जहां दिनांक 26.04.2024 को उसकी मृत्यु हो जाना अपनी साक्ष्य में बताया है। इस गवाह ने प्रति परीक्षा में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं, जिससे उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में दुर्घटना बाबत् जो कथन किये गये हैं, के सम्बन्ध में अविश्वास उत्पन्न होता हो। गवाह से प्रति परीक्षा के बाद भी उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में किये कथन अखण्डनीय रहे हैं। इस गवाह की प्रति परीक्षा में ऐसे कोई विरोधाभास प्रकट नहीं होते हैं जिससे जाहिर होता हो कि वाहन चालक की गलती से दुर्घटना कारित नहीं हुई हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श–11 फर्द जब्ती कागजात् वाहन स्विफ्ट डिजायर एवं प्रदर्श–10 फर्द जब्ती वाहन के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दि. 04.10.2024 को दुर्घटना होने के पश्चात वाहन को जब्त किया गया है। ऐसी स्थिति में बाद अनुसंधान दुर्घटना उक्त वाहन से कारित हुई, यह तथ्य प्रदर्श 10 एवं प्रदर्श 11 के अवलोकन से भी साबित होता है। अतः बीमा कम्पनी का यह उज्र कि घटना उक्त वाहन से कारित नहीं हुई, प्रभावी होना नहीं पाया जाता है।

15. प्रकरण में जिस प्रकार से घटना घटित होना बताया गया है, उसकी पुष्टि नक्शा मौका प्रदर्श–4 से होती है। प्रदर्श–4 में घटनास्थल बहरोड़ से बर्डोद जाने वाले

रोड़ के बाईं साईड में एक्स स्थान पर घटना घटित होना दर्शायी है, जो कि रोड के बिल्कुल साईड में खडा होना दर्शित है। ऐसे में रोड़ के साईड में खडे व्यक्ति को वाहन स्विफ्ट डिजायर के चालक द्वारा से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना वाहन चालक की उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक को स्वमेव ही दर्शाता है। दुर्घटना के परिणामस्वरूप आहत की मृत्यु होना प्रदर्श 09 पीएमआर, प्रदर्श–06 फर्द पंचायतनामा, प्रदर्श–05 मर्ग रिपोर्ट से साबित होती है। इसी क्रम में आगे देखा जावे तो प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान वाहन स्वीफ्ट डिजायर नं. एचआर 72 बी 8354 के चालक संजय कुमार मेघवाल के द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित कर सुरेश कुमार की मृत्यु कारित होना मानते हुए अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रकरण में वाहन चालक संजय कुमार मेघवाल की लापरवाही से दुर्घटना होना पूर्णतया साबित होती है। अतः उपर्युक्त विवेचना से विवाद्यक संख्या–1 "आया अप्रार्थी संख्या 03 वाहन चालक ने दिनांक 25.04.2024 को समय करीब 08:30 पीएम बजे वाकै राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाहन कार नंबर एच.आर. 72 बी 8354 को उपेक्षा व लापरवाही से चलाकर सुरेश सैनी के टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?" बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी तय किया जाता है।

16. जहां तक विवाद्यक संख्या 2 में अप्रार्थी संख्या 3 संजय कुमार मेघवाल चालक, वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 रामनिवास गुर्जर के नियोजन में होकर उसके हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य करने का संबंध है उक्त तथ्य धारा 133 एवं 134 एमवी एक्ट के नोटिस से पूर्ण रूप से प्रमाणित है, क्योंकि वाहन स्वामी रामनिवास गुर्जर ने अपने नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श 12 के जवाब में अप्रार्थी सं. 3 संजय मेघवाल द्वारा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन को चलाकर बहरोड से अलवर जाना बताया है व चालक संजय कुमार मेघवाल ने भी धारा 134 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–13 के जवाब में इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। दि. 25.04.2024 को वक्त घटना गाडी नं. एच. आर.72 बी 8354 पर चालक वह था एवं गाडी बहरोड से अलवर की तरफ जा रही थी। आरोप पत्र प्रदर्श 03 में भी वाहन संजय कुमार मेघवाल के द्वारा ही चलाया जाना प्रमाणित माना गया है। वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्श–15, वाहन का इंश्योरेंस प्रदर्श 16 से वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 2 का होना प्रमाणित है एवं उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी प्रदर्श–16 से उक्त वाहन का वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी द्वारा बीमित होना प्रमाणित है, जिसके खण्डन में अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थी साक्ष्य से यह भलीभांति प्रमाणित है कि

"आया विपक्षी संख्या 3 चालक संजय कुमार मेघवाल, वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में था और उसके लाभार्थ एवं हितार्थ वाहन को चला रहा था और उसी से यह दुर्घटना कारित हुई है। यह उक्त वाहन बीमा कम्पनी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बीमित किया गया है।"

17. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के प्रकाश में प्रार्थीगण दोनों तनकी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।

<u>विवाद्यक संख्या – 3</u>

18. इस विवाधक को साबित करने का भार अप्रार्थी बीमा कम्पनी पर है। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से इस सम्बंध में बहस के दौरान जाहिर किया कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन गाडी नं. एच.आर.72 बी 8354 की गलती बताकर मिलीभगत करके दर्ज कराई गई है, उक्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं घटी है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष की ओर से ए॰डब्ल्यू॰–2 के क्रम पर रोहिताश परीक्षित हुआ है जो घटना का चश्मदीद साक्षी है, जिसने अपनी साक्ष्य में मोटरसाइकिल से बहरोड़ दुकान से अपने घर बर्डोद जा से वक्त दुघर्टना मौके पर उपस्थित होना एवं दुर्घटना में मृतक सुरेश के चोट आना तथा अन्य लोगों के साथ कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाना बताकर दुर्घटना से संबंधित तथ्यों की ताईद की है और कथन किये हैं कि स्वीफ्ट डिजायर नं. एच.आर. 72 बी 8354 का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर अपनी साईड में खड़े व्यक्ति सुरेश के टक्कर मारी, जिस घटना के फलस्वरूप मृतक सुरेश के शरीर पर चोटें कारित हुई, जिसके परिणामस्वरूप सुरेश की मृत्यु कारित हुई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान साक्ष्य सामग्री संकलित कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–3 पेश किया है। इसके खण्डनस्वरूप बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस कारण उक्त विवेचना के अनुक्रम में बीमा कम्पनी लिया गया उक्त उज्र साबित करने में असफल रही है।

19. इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी की ओर से दूसरा महत्वपूर्ण उज्र यह लिया गया कि वाहन स्वीफ्ट डिजायर नं. एचआर 72 बी 8354 के चालक के पास वाहन को चलाने का वैध एवं मियादित लाईसेंस नहीं था। बीमा कम्पनी की ओर से इस सम्बन्ध में पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थी पक्ष की ओर से जो प्रदर्श 17 वाहन चालक संजय कुमार मेघवाल का डीएल प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाहन चालक के पास लाईट मोटर व्हीकल, मोटर साईकिल विद गियर चलाने का लाईसेंस है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक संजय कुमार मेघवाल के पास वक्त दुर्घटना वाहन

चलाने का वैध एवं मियादित लाईसेंस नहीं हो, यह तथ्य बीमा कम्पनी साबित कर पाने में असफल रही है।

20. अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से बहस के दौरान यह उज्र रहा है कि प्रकरण में एफआईआर दुर्घटना घटित होने के 06 दिन की देरी से दर्ज करवाई गई है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 03 का अवलोकन किया गया, उक्त रिपोर्ट परिवादी सुभाष सैनी द्वारा पुलिस थाना बहरोड़ में दि. 01.05.2024 को पेश कर दर्ज करवाई गई है। उक्त रिपोर्ट में घटना दि. 25.04.2024 की होना दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट छः दिन बाद दर्ज किया जाना दर्शित है। इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति का अवलोकन करें तो न्यायिक विनिश्चय **2011 आर.ए.आर 81(एससी) रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य** में दी गई व्यवस्था के अनुरूप न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रार्थी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जो देरी होना अभिकथित किया है वह युक्तियुक्त है अथवा नहीं। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के क्रम में दिनांक 25.04.2024 को मजरूब/पीड़ित सुभाष सैनी के साथ सांयकाल के समय 08:30पी.एम. पर घटना घटित हुई है, जिसके पश्चात् आहत को ईलाज के लिए पार्क हॉस्पीटल लेकर जाना तत्पश्चात् जयपुर में एसएमएस अस्पताल में उसे भर्ती कराना, जहां दि. 26.04.2024 को आहत सुरेश की मृत्यु हो जाना तथा मृत्यु पश्चात् उसके क्रियाकर्म में व्यस्थ होने के कारण मृतक के भाई द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने में देरी होना बताया है। इस सम्बन्ध में ईलाज से सम्बन्धित पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 09 पीएमआर रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि आहत सुरेश की मृत्यु दि. 26.04.2026 को एसएमएस अस्पताल में हुई थी। तत्पश्चात् उसके भाई द्वारा क्रियाकर्म में व्यस्तता होने के कारण जो देरी का कारण बताया है, देरी से रिपोर्ट दर्ज होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जिस कारण प्रार्थी पक्ष द्वारा जो 06 दिन देरी से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसके सम्बन्ध में प्रार्थी पक्ष की ओर से युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। इसके खण्डनस्वरूप बीमा कम्पनी की ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस कारण यह तर्क भी संधारणीय होना नहीं पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी में यह विवाद्यक बीमा कम्पनी के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या – 4</u>

21. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पक्ष पर है, जिसमें प्रार्थी पक्ष को यह तथ्य प्रमाणित करना है कि प्रार्थी पक्ष याचिका में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्यायसंगत राशि पा सकता है या नही ं यदि हां तो प्रार्थीगण

कितनी–कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से किस प्रकार पा सकते हैं। यह बिंदु अब न्यायाधिकरण के समक्ष अवधार्य है।

22. इस याचिका के द्वारा प्रार्थीगण ने दुर्घटना में मृतक सुरेश सैनी के आई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु के परिणामस्वरूप प्रतिकर राशि की मांग की गई है। इस याचिका में प्रार्थीगण ने वक्त दुर्घटना मृतक सुरेश कुमार को 42 साल का हृष्टपुष्ट होना तथा जिसकी मृत्यु से प्रार्थीगण को मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचना अथिकथित किया है। जहां तक मृतक की आयु का प्रश्न है, क्लेम याचिका में आयु 42 साल होना बताया है। प्रदर्श–09 पीएमआर में मृतक की आयु 42 वर्ष अंकित है तथा गवाह ए॰डब्ल्यू॰–1 ने अपने बयान में मृतक सुरेश कुमार का आधार कार्ड दौराने साक्ष्य पेश कर प्रदर्श 18ए के रूप में प्रदर्शित करवाया है, जिसमें मृतक सुरेश सैनी की जन्म वर्ष 1982 होना दर्शित है। पत्रावली पर आई प्रार्थीया ममता की साक्ष्य एवं अभिलेख पर मौजूद मृतक सुरेश सैनी की पीएमआर रिपोर्ट तथा आधार कार्ड की फोटोप्रति का समेकित रूप से अवलोकन किया जावे तो मृतक सुरेश कुमार की वरवक्त दुर्घटना आयु करीब 42 वर्ष होना प्रकट होती है। आयु के संबंध में किसी भी प्रकार से अप्रार्थी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में मृतक सुरेश कुमार की आयु वरवक्त दुर्घटना 42 वर्ष होना पायी जाती है।

23. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा मृतक का वक्त दुर्घटना सैटरिंग ठेकेदारी का कार्य करके प्रतिमाह 25,000/–रूपये कमा लेना तथा साथ में कृषि कार्य करके प्रतिमाह 15,000/–रूपये, इस प्रकार सुरेश सैनी द्वारा प्रतिमाह 40,000/–रूपये की आय कमा लेने का अभिकथित किया है, परन्तु आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। ऐसी दशा में पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि वह किसी प्रकार के कोई स्थायी नियोजन में रहा हो या कोई विशिष्ट कौशल रखता हो। इस कारण याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका एवं मौखिक साक्ष्य में जो आय अभिकथित की गई है, उसके आधार पर मृतक की आय 40,000/– रूपये प्रतिमाह नहीं मानी जा सकती है।

24. उक्त विवेचन के अनुक्रम में मृतक की आयु 42 वर्ष होना पाई गई है तथा उसका स्थायी रूप से किसी नियोजन में या किसी फिक्स वेतन पर कार्य करना प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में मृतक एक अकुशल कर्मचारी की श्रेणी में होना पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण किसी ठोस पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में मृतक की आय वर्ष 2024 में 40,000/– रूपये प्रतिमाह होना अधिकरण के समक्ष साबित कर पाने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मृतक को

वक्त दुर्घटना एक अकुशल कर्मकार मानते हुए, तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर मासिक आय का निर्धारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। राजस्थान सरकार श्रम विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2024 के अनुसार अकुशल कर्मकार की मासिक आय 7,410/– रूपये निर्धारित की गई है, तत्पश्चात् राजस्थान सरकार श्रम विभाग द्वारा राजपत्र में न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में राजपत्र में प्रकाशित अंतिम अधिसूचना के अनुसार मृतक की मासिक आय 7,410/– रूपये मानी जाती है।

25. प्रार्थीगण में प्रार्थी संख्या 1 श्रीमती ममता देवी मृतक की पत्नी है, प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 मृतक के पुत्र–पुत्री हैं तथा प्रार्थी सं05 व 06 मृतक के माता–पिता हैं। ऐसे में प्रार्थीगण को मृतक सुरेश कुमार पर आश्रित व निर्भर माना जाता है। जिस कारण मृतक की सालाना आय **7,410 X 12 = 88,920/–**रूपये का चार से अधिक आश्रित होने की दशा में 1/4 भाग मृतक द्वारा स्वयं पर खर्च करना माने जाने पर आश्रितों की निर्भरता 1/4 भाग **22,230/–** रूपये कम करने के पश्चात आय **66,690**/– रूपये मानी जाती है।

26. इस विवाद्यक के निस्तारण के सम्बंध में मृतक की आयु करीब **42** वर्ष मानी गई है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2009 (2) टी.ए.सी 677 (एस.सी.) श्रीमति सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांस्पोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य में प्रतिपादित सिद्धांतों की अनुपालना में पंचाट राशि के निर्धारण हेतु मृतक की आयु 42 वर्ष मानते हुए आयु वर्ग 41 से 45 वर्ष के अनुसार आय की क्षति के सम्बंध में **14** का गुणांक प्रयुक्त किया जाकर क्षतिपूर्ति दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार न्यायाधिकरण के विनम्र मत में मृतक पर आश्रित प्रार्थीगण को आय की क्षति के मद में **66,690/–** रूपये सालाना के आधार पर **14** का गुणांक प्रयुक्त कर **59,280 X 14 = 9,33,660/–** रूपये आय की क्षति हेतु दिलवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

27. हस्तगत प्रकरण में मृतक अकुशल कामगार की श्रेणी में पाया गया है। अतः भविष्य में मृतक की आय में बढोतरी होती, इसलिए प्रार्थीगण को फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के रूप में राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नं0 25590/2014 नेश्नल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की अनुपालना में दुर्घटना के समय मृतक की आयु 42 वर्ष

होने के कारण मृतक की निर्धारित आय में आश्रितों की कुल आय **9,33,660**/— रूपये की **25** प्रतिशत राशि **2,33,415/—**रूपये फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के रूप में दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

28. प्रार्थीगण को अन्य मदों में क्षतिपूर्ति राशि दिलवाए जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल नंबर 25509/2014) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम प्रणय सेठी व अन्य में पारित निर्णय दि. 31.10.2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित न्यायिक निर्णय Magma General Insurance Copany Ltd. vs Nanuram and Others, 2018 (18) SCC 130, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित न्यायिक निर्णय New India Insurance Co. Ltd. vs Somwati 2020(9) SCC 644 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा United India Insurance Co. Ltd. Vs Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors., Civil Appeal No. 2705/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2020 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उक्त सम्मानित न्यायिक विनिश्चियों में प्रतिपादित न्यायिक अभिमत के अनुसार चूंकि मृतक प्रार्थी संख्या 01 का पति व 02 लगायत 04 का पिता था व 05 लगायत 06 का बेटा था, जिस कारण दुर्घटना में मृतक की मृत्यु होने से प्रार्थीगण अपने पति/पिता/बेटे के स्नेह, संरक्षण व देखभाल से सदैव के लिए वंचित हो गए हैं। अतः ऐसी स्थित में प्रार्थीगण के स्नेह, संरक्षण व देखभाल से वंचित होने के लिए (Parental Consortium) 40,000 रूपए प्रत्येक को अर्थात् 2,40,000/— रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाया जाना न्यायसंगत है। साथ ही उक्त दुर्घटना में मृतक सुरेश कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण सम्पदा की क्षति के रूप में 15,000/— रूपए व मृतक के अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 15,000/— रूपए की एकमुश्त राशि अर्थात् **30,000/—** रूपए की राशि प्रार्थीगण को दिलवाया जाना न्यायसंगत है। अतः इस मद में प्रार्थीगण निम्न प्रकार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

29. उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण निम्न प्रकार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैः—

क्र०सं०	मदवार	राशि
1.	आश्रितता की क्षति के लिए	9,33,660/—
2.	Future Prospects	2,33,415/—
3.	Parental Consortium	2,40,000/—
4.	सम्पदा की क्षति व दाह संस्कार के लिए	30,000/—
योग		**14,37,075/—**

30. इस प्रकार उपर्युक्तानुसार प्रार्थीगण कुल 14,37,075/— (अक्षरे चौदह लाख सैंतीस हजार पचहत्तर रूपए) की राशि प्रतिकर के रूप में समस्त विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक—पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर याचिका प्रस्तुति दिनांक 13.08.2024 से 9 प्रतिशत के साधारण ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है और इसी अनुरूप उपर्युक्त विवाद्यक निर्णित किया जाता है तथा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अनुतोष

31. उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या—01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्ण रूप से एवं विवाद्यक संख्या—04 आंशिक रूप से प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित किये जाने में सफल रहे हैं एवं विवाद्यक संख्या—03 अप्रार्थी बीमा कम्पनी स्वयं के पक्ष में साबित किये जाने में असफल रही है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण संख्या 278/2024 में प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि 14,37,075/— (अक्षरे चौदह लाख सैंतीस हजार पचहत्तर रूपए) अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक—पृथक रूप से व याचिका प्रस्तुति दिनांक 13.08.2024 से अदायगी होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी होगें। शेष राशि की प्रार्थना साक्ष्याभाव में अस्वीकार की जाती है।

—: पंचाट :—

32. अतः प्रार्थीगण श्रीमती ममता देवी वगैरह की क्लेम याचिका अन्तर्गत धारा 140/166 एम.वी.एक्ट आंशिक रूप से विरूद्ध अप्रार्थीगण 1, 2, 3 स्वीकार की जाकर अंतिम पंचाट पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः प्रतिकर राशि स्वरूप 14,37,075/— (अक्षरे चौदह लाख सैंतीस हजार पचहत्तर रूपए) मय 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज याचिका दायरी **13.08.2024** से अदायगी तक प्राप्त करने का अधिकारी होंगे। प्रकरण के समग्र परिस्थितियों के दृष्टिगत पंचाट राशि का वितरण इन प्रार्थी को निम्न प्रकार से किया जाता हैः—

क्र.सं.	नाम	मृतक से संबंध	आयु वर्ष में	बचत खाता में देय राशि रूपयों में	सावधि जमा खाता में देय राशि रूपयों में	सावधि जमा खाता में जमा राशि की अवधि
1	**श्रीमती ममता देवी**	**पत्नी**	35 वर्ष	1,62,245/—	1,24,830/—	एक वर्ष
2	**प्रिती**	**पुत्री**	11 वर्ष	——	2,30,000/—	वयस्क होने तक
3	**चेतनप्रकाश**	**पुत्र**	10 वर्ष	——	2,30,000/—	वयस्क होने तक
4	**मिनाक्षी**	**पुत्री**	19 वर्ष	140000	90,000/—	एक वर्ष

5	**मोटूराम**	**पिता**	59 वर्ष	140000	90,000/—	एक वर्ष
6	**शारदा देवी**	**माता**	58 वर्ष	140000	90,000/—	एक वर्ष

33. याचिकाकर्ता ने यदि पूर्व में धारा 140 एमवी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की है तो वह राशि इस अंतिम पंचाट की उपर्युक्त राशि में समायोजित होगी।

34. विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त याचिका की क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि संयुक्त रूप से व पृथक–पृथक रूप से इस पंचाट की तिथि से दो माह की अवधि में अधिकरण के माध्यम से याचिकाकर्तागण को प्रदत्त किए जाने के लिए प्रस्तुत करें।

35. अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक रूप से इस अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड की अनुपालना में जमा कराई जाने वाली राशि चैक द्वारा जमा नहीं करवाकर सीधे ही अधिकरण के बैंक खाते में जरिए NEFT/RTGS जमा करवाएंगे और इसकी सूचना अधिकरण को विहित प्रारूप में देंगे। प्रार्थीगण अपने बैंक खाते की पासबुक का प्रथम पेज मय फोटोग्राफ जो कि सम्बन्धित बैंक द्वारा प्रामाणित हो, पेश करेगा व पैन कार्ड भी पेश करे, जिससे अवार्ड राशि न्यायालय के खाते से अवार्डी के खाते में जरिए NEFT/RTGS अन्तरित की जा सके। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

नोट : बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक एवं न्यायालय का खाता संख्या 15222122001317 है।

(राजेश कुमार)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, क्रम–2,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़

36. निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, क्रम–2,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़